

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

सुनं 68 नं० 233 18-10-16


उपबान-1

डावा-: लिभाक वनाम द्येया वगे.
निवासी नागल मांडल तहसील
टोडाभीम जिला करौली

झावा-: पार्वना पत्र कारभायी
निषेधाज्ञा

पुकी की कोर से श्री सुरेश चव्हा शर्मा इन्फोर्मेट
ने पार्वना पत्र कारभायी निषेधाज्ञा पेश
किया। इन्फोर्मेटो का अपीलकन विषय
सम्मान कार्याधीन जारी हो। पार्वनापत्र
इजी रजिस्टर हो दिनांक 15-11-16 पेश हो।

3165-67
18-10-16


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

15.11.16

जर्दी वकील उप०। अपाधीगण की कोर से श्री देवेन्द्र
कुमार शर्मा A.W. ने नकालनामा पेश किया। अधीन
अस्थाई निषेधाज्ञा के विषय पर सुना गया। सुनकर प
पत्रारली के अवलोकन के बाद जेर हायलत को आगामी
सुनवाई तिथी तक पाबंद किया जाता है कि गाम
नागल मांडल तहसील टोडाभीम की जमाबंदी संवत्
2069-2072 के खाल संख्या 77, 78, 79, 80, 81,
139, 140, 141 में दर्ज आराजीयात में वादीगण के
रिहसे पर मजामहल, मदाबलत मही को तथा लिंड
एवं मौके की यथास्थिति बनावे रखे। दि० 14.12.16 को पेश
हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
14.12.16	वकूलाय उप. / जबब पेश कले दिनांक 5.1.17 को पेश हो।
5.1.17	अवकाश
6.1.17	वकूलाय उप. / जबब पेश कले सत्रप चालेपु वारी कडीलमे एतज दर्ज कराया / अवपकाम से जबब पेश कले दिनांक 19.1.17 को पेश हो।
19.1.17	वकूलाय उप. / जबब पेश कले पुनः सत्रप चाले। एक मोरा और चाहा / एक मोरा और दिया जाता है पेश कले जबब दि. 27.1.17 को पेश हो।
27.1.17	वकूलाय उप. / जबब पेश कले दिनांक 27.1.17 को पेश हो। एक मोरा और दिया जाता है जबब पेश कले दिनांक 21.3.17 को पेश हो।
21.3.17	वकूलाय उप. / जबब पेश कले दिनांक 28.3.17 को पेश हो।
28.3.17	वकूलाय उप. / जबब पेश कले दि. 11.4.17 को पेश हो।
11.4.17	वकूलाय उप. / जबब पेश किया / गकल दिनांक वसे वस दि. 25.4.17 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्रमांक	फर्द अहकाम
25.4.17	वकूलाय उप। वास्तु बहस क्रिमांक 28.4.17 को पेश हो
28.4.17	वकूलाय उप। वास्तु बहस दि० 1.5.17 को पेश हो
1.5.17	<p>वकूलाय उप। बहस सुनी गई। बहस अग्ररिधी / अग्रणी वकील ने दस्तविज पेश किए / १०० रू०</p> <p>पुनः अग्र बहस हेतु क्रिमांक 8.5.17 को पेश हो</p>
8.5.17	<p>पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। बहस सुन</p> <p>व्या पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र स्वीकृत</p> <p>किया गया उभयपक्षों को रिपोर्ट एवं मौके की</p> <p>पक्षास्थिति बताने के लिए ता. दावा फैसला</p> <p>पाकड किया जाता है। पत्रावली फैसल शुभत तैयार</p> <p>गया से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न</p> <p>है।</p> <p>उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करीबी)</p>